

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, जयपुर
चिकित्सा शिक्षा भवन, मनोचिकित्सा केन्द्र के सामने, गोविन्द मार्ग, जयपुर


क्रमांक: F.1(79)DME/Part- I/2017/ 5245

दिनांक: 08/08/2017

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक
नवीन मेडिकल कॉलेज
भरतपुर, भीलवाडा, चूरु, पाली, डूंगरपुर

विषय:—नवीन मेडिकल कॉलेजों में नियुक्त किये गये चिकित्सक शिक्षकों से पुलिस सत्यापन रिपोर्ट तथा चरित्र प्रमाण पत्र लिए जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के आदेश सं. 3641 दिनांक 31.05.2017 एवं समसंख्यक आदेश सं. 5241 दिनांक 04.08.2017 के द्वारा राजस्थान मेडिकल कॉलेज भरतपुर, भीलवाडा, चूरु, पाली, डूंगरपुर में चयनित चिकित्सक शिक्षकों के पदस्थापन आदेश प्रसारित किए गये हैं, के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि जो चयनित चिकित्सक शिक्षक पूर्व से राजकीय सेवा में कार्यरत है एवं इन आदेशों के अन्तर्गत नवीन मेडिकल कॉलेजों में ज्वाइन करते हैं, उन्हें तत्काल ज्वाइन करा लिया जावे किन्तु जो चयनित चिकित्सक शिक्षक सीधे ज्वाइन करते हैं उनसे ज्वाइनिंग के समय पुलिस सत्यापन रिपोर्ट/चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही ड्यूटी ज्वाइन कराई जावें।


अति.निदेशक (प्र.शा.) एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव